

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
मंडल रेल प्रबन्धक / कार्मिक
लखनऊ
दिनांक - 02.01.2023

सं- ई / 11 / 210 / का0प्र0 / प्रतिनियुक्ति / गुप-बी / 2019,

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी / लखनऊ
2. समस्त शाखाधिकारी एवं युनिट प्रभारी / लखनऊ मण्डल
3. सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड एवं एरिया मैनेजर / गोरखपुर एवं गण्डा
4. मंकाधि, सकाधि- I, II, III, विधि अधिकारी / लखनऊ
5. राजभाषा अधिकारी एवं पीआरओ / लज0

विषय :- सहायक कार्मिक अधिकारी - 70 प्रतिशत कोटा, लेवल - 08 (गुप-बी) के रिक्त पदों के विरुद्ध चयन की अधिसूचना।

संदर्भ :- महाप्रबन्धक / कार्मिक, गोरखपुर का पत्र सं0 - NER-HQ0PERS(ESTB)/222/2022-DY CPO/GAZ/HQ/NER-Part(1) [84897], दिनांक - 26.12.2022

महाप्रबन्धक / कार्मिक, गोरखपुर के सन्दर्भित अधिसूचना की प्रतिलिपि संलग्न है, का अवलोकन करना चाहे जिस के माध्यम से सकाधि (गुप-बी), 70 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध 01 (एक) पद (सामान्य) की नामिका बनाने हेतु चयन की कार्यवाही की जानी है, इस सम्बन्ध में अन्य सभी शर्तें सन्दर्भित अधिसूचना में दी गयी हैं।

कृपया उक्त अधिसूचना का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराये तथा कर्मचारियों के आवेदन पत्र नियंत्रक अधिकारी द्वारा अग्रसारित कराने के उपरान्त इस कार्यालय में अंतिम तिथि 04.01.2023 को प्रातः 11 बजे तक अवश्य भिजवायें ताकि समस्त औचारिकताओं को पूर्ण करते हुये आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक मुख्यालय भेजा जा सकें।

यह अधिसूचना पूर्वोत्तर रेलवे / लखनऊ मण्डल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक :- अधिसूचना, आवेदन पत्र का प्रोफार्मा, पाठ्यक्रम (कुल आठ पेज मात्र)

(दयाशकर प्रसाद)
सकाधि - II
कृते मंडल रेल प्रबन्धक (कार्मिक)
लखनऊ

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निजी सचिव - II एवं गोपनीय सहायक / मंरेप्र एवं अमंरेप्र / लखनऊ
2. नोटिस बोर्ड पर चरप्पा हेतु
3. कन्ट्रोल / समस्त विभाग
4. मंडल मंत्री नरमू / एससी-एसटी / ओबीसी एसो / लखनऊ

कृते मंडल रेल प्रबन्धक (कार्मिक)
लखनऊ।

02.01.23

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
मंडल रेल प्रबन्धक / कार्मिक
लखनऊ
दिनांक - 02.01.2023

सं.- ई/ 11/ 210 / का0प्र0 / प्रतिनियुक्ति / गुप-बी / 2019.

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी / लखनऊ
2. समस्त शाखाधिकारी एवं युनिट प्रभारी / लखनऊ मण्डल
3. सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड एवं एरिया मैनेजर / गोरखपुर एवं गोण्डा
4. मकाधि, सकाधि- I, II, III, विधि अधिकारी / लखनऊ
5. राजभाषा अधिकारी एवं पीआरओ / लजं0

विषय :- सहायक कार्मिक अधिकारी - 70 प्रतिशत कोटा, लेवल - 08 (गुप-बी) के रिक्त पदों के विरुद्ध चयन की अधिसूचना।

संदर्भ :- महाप्रबन्धक / कार्मिक, गोरखपुर का पत्र सं0 - NER-HQ0PERS(ESTB)/222/2022-DY CPO/GAZ/HQ/NER-Part(1) [84897], दिनांक - 26.12.2022

महाप्रबन्धक / कार्मिक, गोरखपुर के सन्दर्भित अधिसूचना की प्रतिलिपि संलग्न है, का अवलोकन करना चाहें जिस के माध्यम से सकाधि (गुप-बी), 70 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध 01 (एक) पद (सामान्य) की नामिका बनाने हेतु चयन की कार्यवाही की जानी है, इस सम्बन्ध में अन्य सभी शर्तें सन्दर्भित अधिसूचना में दी गयी हैं।

कृपया उक्त अधिसूचना का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराये तथा कर्मचारियों के आवेदन पत्र नियंत्रक अधिकारी द्वारा अग्रसारित कराने के उपरान्त इस कार्यालय में अंतिम तिथि 04.01.2023 को प्रातः 11 बजे तक अवश्य भिजवायें ताकि समस्त औचारिकताओं को पूर्ण करते हुये आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक मुख्यालय भेजा जा सकें।

यह अधिसूचना पूर्वोत्तर रेलवे / लखनऊ मण्डल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक :- अधिसूचना, आवेदन पत्र का प्रोफार्मा, पाठ्यक्रम (कुल आठ पेज मात्र)

(दयाशंकर प्रसाद)

सकाधि - II

कृते मंडल रेल प्रबन्धक (कार्मिक)
लखनऊ

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निजी सचिव - II एवं गोपनीय सहायक / मंरेप्र एवं अमरेप्र / लखनऊ
2. नोटिस बोर्ड पर चर्या हेतु
3. कन्ट्रोल / समस्त विभाग
4. मंडल मंत्री नरमू / एससी-एसटी / ओबीसी एसो / लखनऊ

कृते मंडल रेल प्रबन्धक (कार्मिक)
लखनऊ।



पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), गोरखपुर-273012

सं.NER-HQOPERS(ESTB)/222/2022-DY CPO/GAZ/HQ/NER-Part(1) [84897]

दिनांक-26.12.2022

राचिव/ स्थापना, सलाहकार/ निदेशक/ रातकता/ रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली;
सचिव/ महाप्रबन्धक एवं अपर महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर;
सचिव/ सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर;
सभी मंडल रेल प्रबन्धक, अपर मंडल रेल प्रबन्धक, मुख्य परियोजना प्रबन्धक (गतिशक्ति), पूर्वोत्तर रेलवे;
मुख्यालय/ मंडल/ मंडलैतर ईकाई के सभी कार्मिक अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे;
महानिदेशक, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, लालबाग बड़ोदरा;
महानिदेशक/आरडीएसओ/ लखनऊ; महाप्रबन्धक/ रेल विद्युतीकरण/ प्रयागराज; महाप्रबन्धक/ बनारस
लोकोमोटिव वर्क्स/ बनारस; नियन्त्रक अधिकारी/ वाह्य समारग/ प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी।
राभी निदेशक/प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्वोत्तर रेलवे; रेलवे वेबसाईट प्रति।

विषय सहायक कार्मिक अधिकारी-70% कोटा, लेवल-08 (ग्रुप-बी) के रिक्त पदों के विस्तृत चयन की अधिसूचना।

सहायक कार्मिक अधिकारी, लेवल-08 (ग्रुप-बी) के पद पर पदोन्नति हेतु 70% रिक्तियों के विस्तृत लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर चयन कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

1. रिक्ति-

पद/कोटा	UR	SC	ST	Total	PwBD	PwBD classification
सकाधि-70%	01	00	00	01	00	LD-OA/OL. Leprosy Cured, Acid attack victims LV, HI(HH)
प्राधिकार (PwBD)- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई (जीपी) 2022/2/20 दिनांक 14.11.2022.						

2. आवेदन की अन्तिम तिथि एवं परीक्षा हेतु निर्धारित कार्यक्रम-

क्रम.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
01	आवेदन की अन्तिम तिथि	05.01.2023
02	लिखित सीबीटी परीक्षा की निर्धारित तिथि	22.01.2023
03	सफ़लीमेटरी लिखित सीबीटी परीक्षा की निर्धारित तिथि	29.01.2023

3. पात्रता-

- निम्नलिखित विभागों में कार्यरत मिनिस्ट्रीयल समूह-ग कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01.01.2023 या इससे पूर्व लेवल-6 या उससे ऊपर के ग्रेडों में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, इस चयन में सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे-
 - कार्मिक विभाग के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी समूह-ग।
 - भण्डार एवं परिवहन (यातायात एवं वाणिज्य विभाग) संरक्षणीय और सफलता शाखा मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी समूह-ग एवं मुख्य विधि सहायक, सभी विभागों के आशुलिपिक (लेखा विभाग को छोड़कर) जिनके पास उनके अपने विभाग में समूह-ख में पदोन्नति के लिए अवसर हो लेकिन उनको दिये गये विकल्प के आधार पर उन्हें सकाधि (ग्रुप-बी) के पद पर पदोन्नति करने के लिए विचार करने के लिए चुना जाता है।
 - भारतीय रेल के हिन्दी संगठन और लेखा विभाग को छोड़कर किन्तु रोकड़ और वतन एवं समय कार्यालय जहाँ उनके अपने विभाग में समूह-ख में पदोन्नति के लिए अवसर नहीं है, सहित अन्य किसी विभाग में संवर्ग पद में कार्यरत समूह-ग अन्य मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी।
- पदों के समान श्रेणी में किसी नई यूनिट में अनुरोध आधार पर स्थानांतरित किए गए व्यक्तियों के मामले में और उसमें दी गई निम्नतम वरिष्ठता में उनके द्वारा पिछली यूनिट में की गई सेवा को उनकी अर्हता निर्धारण में गिना जाए जहाँ शर्त के रूप में नई यूनिट में पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित की गई है जो इस शर्त के अधधीन है कि इस प्रकार अनुगते दी गई सेवा अर्थात् उनकी नई यूनिट में उनके निकटतम वरिष्ठ की सेवा अर्थात् से अधिक नहीं है।
- जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के बारे में भी विचार किया जाएगा, बशर्त की उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता से आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक तथा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अर्थात् सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

- d. पात्रता हेतु कट ऑफ डेट 01.01.2023 निर्धारित है, अर्थात् दिनांक 01.01.2020 या इससे पूर्व लेवल-6 या उससे ऊपर के ग्रेडों में नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी इस चयन हेतु पात्र होंगे।
- e. उपरोक्त चयन मास्टर सर्कुलर-68 (अपडेट-2019) एवरलैब बोर्ड द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार लेना सुनिश्चित है।
4. चयन पूर्व प्रशिक्षण-
रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई/(जीपी) 2010/2/39 [RBE-142/2019] दिनांक 28 08 2019 के अनुसार इस चयन हेतु चयन पूर्व प्रशिक्षण नहीं दिया जाना है।

5. चयन प्रक्रिया-

- a. उपरोक्त चयन रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई (जीपी) 2018/2/31 दिनांक 19.03.2019 & ई (जीपी) 2022/2/4 दिनांक 07.10.2022 में निहित निर्देशानुसार लिखित परीक्षा, सेवा अभिलेख एवं मौखिक परीक्षा के अंकों का आवंटन निम्नवत है-

क्र.सं.	प्रश्न पत्र का विषय	पूर्णांक	अंक अंक
01	तकनीकी विषय एवं राजभाषा नीति/ नियम के 10 अंकों का वैकल्पिक प्रश्न	70	60
02	स्थापना एवं नित्य नियम	30	
03	मौखिक परीक्षा	25	30 (इसमें सेवा अभिलेख में कम से कम 15 अंक प्राप्त होना आवश्यक है)
04	सेवा अभिलेख	25	

- b. तदनुसार लिखित परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रतिशत केवल वस्तुनिष्ठ किन्हीं क बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा का समय 02 घण्टे निर्धारित है।
- c. गलत जवाबों के नकारात्मक अंक होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जायेगा।
- d. लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट के क्रम में शिक्कों के क्रम सीमा तक, चिकित्सा जाँच में फिट पाये जाने की शर्त पर मौखिक परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा एवं वरिष्ठता के आधार पर पैराल बनाने का प्रावधान है। पैराल में स्थान पाने हेतु डीएआर/ एसपीई/ सतर्कता मामलों से मुक्त होना अनिवार्य है।
- e. इस चयन हेतु रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई (जीपी) 2022/2/4 दिनांक 07.11.2022 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम संलग्न है।
6. अभ्यर्थियों हेतु निर्देश-
- a. सभी पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार इस चयन हेतु अपना आवेदन नियंत्रक अधिकारी/ कार्मिक अधिकारी के माध्यम से निर्धारित तिथि तक अवश्य प्रस्तुत कर दें।
- b. चयन के दौरान पात्रता के सम्बन्ध में यदि कोई नया तथ्य प्रकाश में आता है जिससे अभ्यर्थी की पात्रता प्रभावित होती हो तो उसे चयन के किसी भी स्टेज में अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।
- c. चूंकि यह अधिसूचना वेबसाइट के माध्यम से सर्वसम्बन्धित के सूचनार्थ प्रकाशित है एवं पात्रता सूची, परीक्षा कार्यक्रम आदि की सूचना भी वेबसाइट के माध्यम से सर्वसम्बन्धित के सूचनार्थ प्रकाशित की जानी है, अद्व्यतन सूचना/दिशा निर्देशों हेतु सभी अभ्यर्थी पूर्वोक्त रेलवे की वेबसाइट समय-समय पर देखते रहें।
7. नियंत्रक अधिकारी/ कार्मिक अधिकारी हेतु निर्देश-
- a. नियंत्रक अधिकारी/ कार्मिक अधिकारी से अनुरोध है कि सम्बन्धित वरीयता सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों जिसमें वाह्य सम्मर्ग/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी शामिल है, को उपरोक्त चयन की सूचना से अवगत करा दें एवं यह निर्देश भी दें कि सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी संलग्न आवेदन पत्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपना आवेदन नियंत्रक अधिकारी द्वारा अग्रसारित कराकर मूल रूप में सम्बन्धित कार्मिक अधिकारी को उपलब्ध करा दें।
- b. नियंत्रक अधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन की प्रतिलिपि ई-ऑफिस के माध्यम से अग्रिम सूचना के रूप में उपमुकाधि/राज को उपलब्ध करा दी जाए।
- c. सम्बन्धित कार्मिक अधिकारी अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विवरण एवं इस चयन हेतु पात्रता का मिलान कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से करा कर सावधानीपूर्वक दृष्टा तथ्य की जाँच कर लें कि वरीयता वरीयता इकाई में कर्मचारी दिनांक 01.01.2020 या इससे पूर्व से लेवल-6 या उससे ऊपर के ग्रेडों में नियमित रूप से कार्यरत है। यह भी सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरण पर आगे अभ्यर्थियों का वर्तमान वरीयता इकाई में दी गई सेवा अवधि उनके निकटतम वरिष्ठ की सेवा अवधि से अधिक नहीं है।
- d. पात्र अभ्यर्थियों का आवेदन दिनांक 05-01-2023 तक उपमुकाधि/ राजपत्रित कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें।

संलग्नक- आवेदन पत्र एवं पाठ्यक्रम।

RAJESH Digitally signed
by RAJESH
KUMAR PANDEY
Date: 2022.12.26
16:57:35 +05:30
(राजेश कुमार पाण्डेय)

स्काशि/राज,
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

आवेदन पत्र

उपमुकाधि/राजपत्रित
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

उचित माध्यम द्वारा।

विषय- APO-70%, लेवल-08 (यु.पी.बी) के पद हेतु चयन के संबंध में।

संदर्भ- अधिसूचना सं. NER-HQOPERS (ESTB)/ 222/ 2022- DY CPO/GAZ/HQ/ NER-

Part(1) [84897] दिनांक 26.12.2022.

Photograph

(To be attested
by Controlling
Officer)

उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के सम्बन्ध में, मैं उक्त परीक्षा में बैठने हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करता/ करती हूँ। मेरा सेवा विवरण निम्नवत है-

नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
पिता/पाते का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
IPAS Employee No. [11 Digit]	[Pls attach Pay-Slip]
ब्रेल यूनिट	
HRMS ID	
पदनाम एवं कार्य स्थल	
मोबाइल नं [10 Digit]	
ई-मेल आईडी	
विभाग/ मंडल/ इकाई	
नियंत्रक अधिकारी	
जन्मतिथि	
नियुक्ते तिथि, ग्रेड/लेवल, पदनाम & रेलवे	
लेवल-06 में नियुक्ते तिथि, पदनाम & रेलवे	
लेवल-07 में नियुक्ते तिथि, पदनाम & रेलवे	
अन्य रेल/वरीयता इकाई से वर्तमान इकाई में स्थानान्तरण/समाहरण की तिथि/लेवल	
समुदाय (अजा/अजजा/अनारक्षित)	
विकलांगता की श्रेणी एवं SCRIBE की आवश्यकता है या नहीं	विकलांगता श्रेणी- [Pls attach Certificate] SCRIBE की आवश्यकता है या नहीं-
शैक्षणिक योग्यता	

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सभी सूचना/घोषणा सत्य एवं सही है तथा मैं उक्त चयन हेतु पात्र हूँ, यदि कोई सूचना/घोषणा गलत पायी जाती है या पात्रता के सम्बन्ध में यदि कोई नया तथ्य प्रकाश में आता है जिससे मेरी पात्रता प्रभावित होती है तो चयन के किसी भी स्टेज में मुझे अपात्र घोषित कर दिया जाए।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....
दिनांक

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर/कार्यालय मुहर

उपरोक्त विवरण एवं इस चयन हेतु पात्रता का मिलान कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से कर लिया गया है, वर्तमान वरीयता इकाई में कर्मचारी दिनांक 01.01.2020 या इससे पूर्व से लेवल-6 या उससे ऊपर के ग्रेडों में नियमित रूप से कार्यरत है। उक्त कर्मचारी इस चयन हेतु पात्र है, तदनुसार इसे उपमुकाधि/राजपत्रित कार्यालय को अग्रणीत किया जाता है।

कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर/कार्यालय मुहर

Syllabus for promotion to Group- B posts - 70% selection and 30% LDCE.

Syllabus for Establishment Rules:

1. Organization of the Personnel Department in Railways objectives functions and policies of Personnel Department
2. Recruitment and Training, Classification of Services, Recruitment in Different services, Railway Recruitment Boards & Railway Recruitment Cells Compassionate Ground Appointments, Initial & In Service Training, Refresher Courses, Central Training Institutes Training Centers in Zones, Divisions & Workshops, Training Modules for different posts Training under Apprentices Act Online Training, APARs.
3. General conditions of service in Railways, Seniority, Lien, Inter Railway & Inter Division transfers, Deputation, Promotion Policy & methods. Selection, Suitability, Trade Tests, Leave Rules, Pass Rules, Joining Time Reservation policy, HOER, Overtime, Payment of wages, current CPC Pay Rules, Advances in Railways
4. Manpower planning, Rightsizing & Benchmarking, creation, extension and surrender of posts, creation of posts against new assets, different types of posts including workcharged posts.
5. The Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 and related instructions.
6. The Railway Services (Conduct) Rules, 1966 and related instructions.
7. Retirement benefits, qualifying service, pension, family pension, commutation gratuity, new pension scheme.
8. Staff welfare, SBF, Railway institutes, Railway schools, Ex-gratia payment Incentive Bouns Scheme, Staff Grievances Redressal Mechanisms.
9. Industrial relations in Railways, recognized trade unions, industrial disputes, The Industrial Disputes Act, 1947, The Industrial Relations Code, 2020, The Trade Unions Act, 1926, PNM, PREM, JCM, Various Associations & Informal Meetings.
10. The Factories Act, 1948, The workmen's Compensation Act, 1923, Functions of Labour Enforcement Officers, Right to Information Act.
11. The scope of Information Technology in Railway e – office HRMS, IPAS LIMBS, ARPAN, CPGRAMS, ANUBHAV etc.

Syllabus for Financial Rules:

1. Parliamentary Control over Railway Finance, Public Accountability, Canons of Financial Propriety.
2. Railway Budget - Budgetary terms, Types of Budgets, Budget cycle Demand of Grants, Budgetary and Financial Reviews
3. Rules of Allocation - Classification of expenditure - Control of expenditure - Responsibility Accounting - Performance Budgeting - Exchequer Control - Financial Results of Working lines.
4. Works Programme - Financial justification of Works - Surveys - Preparation of Estimates - Capital Budget - Control over Capital Expenditure - Reappropriation of Funds.
5. Financial control over Stores Expenditure - Purchase and Stores Keeping Procedure - Inventory Control and ABC Analysis.
6. Financial & Cost Control in Railway Workshops/Sheds/Units
7. Rules and procedure relating to Tenders and contracts for execution of works and Procurement of Stores, M&P Programme and RSP.
8. Procedure for Possessing and finalizing Audit Objections and Draft Paras.
9. Delegation of Powers.
10. Losses, Frauds and Embezzlements
11. General Financial Rules
12. Government e-Market (GeM)
13. Classification of Railway Revenue (Earnings)
14. Information Technology in general with specific reference to Railway's IT Applications
15. Taxation matters with special focus on GST & Income Tax
16. Organization of CGA and C&AG
17. Any other topic felt necessary from time to time

SYLLABUS FOR 70% SELECTION AND 30% LDCE FOR PROMOTION TO GROUP 'B' POST OF APO IN PERSONNEL DEPARTMENT

1. ROLE OF PERSONNEL DEPARTMENT IN RAILWAYS:

- a) Organization, objectives and functions of Personnel Department.
- b) Relevance and role of human resources with reference to current objectives, reforms and developments in IR
- c) Indian Railways Act, Establishment Codes & Manuals, Executive Orders of Railway Board.

2. RECRUITMENT:

- a) Classification of Services and Categories;
- b) General qualifications, conditions & rules for appointment; Medical fitness;
- c) Safety, Non-safety & Essential Categories;
- d) Modes of recruitment; Appointments on Compassionate Grounds, Sports quota, Cultural quota, Scouts & Guides quota; Substitutes, Contractual and Casual labour;
- e) Railway Recruitment Boards & Railway Recruitment Cells;
- f) Reservation in Recruitment.

3. GENERAL CONDITIONS OF SERVICE IN RAILWAYS:

- a) Appointment, Seniority & Lien;
- b) Pay Fixation Rules, Pay Structure, Pay Bills and related rules & procedures,
- c) All types of Allowances (including those to Running Staff), Advances (loans) & Recoveries;
- d) Promotion rules & eligibility; AVCS, ACP/MACP/DACP,
- e) Procedures of Selection, Suitability and Trade Tests;
- f) Sealed Cover procedure; Next Below Rule; Refusal of promotion;
- g) Rules of Transfer (Inter Railway & Inter Divisional);
- h) Deputation;
- i) Types of Leave; Rules & Joining Time; Encashment of leave,
- j) Pass Rules; AILTC;
- k) Reservation policy for SC, ST, OBC, PwBD, ESM & EWS; rules and rosters
- l) HOER,
- m) PME & Mandatory Health Check-up,
- n) Medical decategorisation and absorption of medically de-categorized staff in alternative posts

4. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT:

- a) Overall Earning & Expenditure, including staff expenditure. Operating Ratio.
- b) Manpower planning; Book of Sanctions & Scale-check;
- c) Supernumerary posts & Redeployment;
- d) Surrender, Creation, Extension & Transfer of posts; Vacancy Bank after POSP
- e) Work-study & Job Analysis. Bench-marking & Right-sizing. Yardsticks.
- f) Duty Rosters; Link Diagram; Crew Link & Power Plan;
- g) Work-charged posts;
- h) Initial & In-Service Training, Refresher Courses; On-the-job Training, Multi-skilling. Future Training needs & systems;
- i) Central Training Institutes, Training Centres in Zones, Divisions & Workshops; Plan Head 65
- j) Training Modules for different posts,
- k) Training under Apprentices Act, Online Training.
- l) Performance Appraisal - APARS & SPARROW
- m) Mission Karmayogi; Rail Kaushal Vikas Yojana. etc

5. INDUSTRIAL RELATIONS, POLICIES & LABOUR LAWS:

- a) Formal & informal interaction with recognised trade unions and associations.
- b) PNMs, Staff Councils & PREM at various levels;
- c) Role of JCM and Labour Tribunals & Labour Commissioner.
- d) Facilities and privileges to trade unions & associations.
- e) Related Industrial & Labour Laws – PLB; The Industrial Disputes Act, 1947, The Industrial Relations Code, 2020, The Trade Unions Act, 1926; The Factories Act, 1948, The Employee's (Workmen's) Compensation Act, 1923; Minimum Wages Act, 1948; Contract (Regulation & Abolition) Labour Act, 1970; Payment of Wages Act; Industrial Relations Codes 2020, Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal Act 2013).

6. STAFF WELFARE:

- a) Staff Grievances Redressal Mechanisms,
- b) SBF, Railway Institutes, Railway schools & colleges, scholarships,
- c) Ex-gratia payment
- d) Incentive Bonus Scheme;
- e) Sports Incentives & cultural competitions, extra-curricular activities;
- f) Excursions, tours and holiday camps; co-operative Societies;
- g) Medical assistance;
- h) Quarters – types, allotment & retention rules

7. DISCIPLINE & APPEAL RULES:

- a) The Railway Services (Conduct) Rules, 1966 & related instructions - scope and Implementation.
- b) The Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 & related instructions; Schedule of Power; procedures, application and implications.

8. FINAL SETTLEMENT:

- a) Retirement rules, types & benefits;
- b) Old and New Pension schemes; Final Settlement rules under various circumstances.
- c) Qualifying Service.
- d) Pension & Family Pension, Provident Fund Rules;
- e) Commutation, Gratuity, GIS, Leave Salary;
- f) Other-than-Normal Retirement (ONR) cases;
- g) ARPAN, Pension Adalats & Pensioners' Associations & representations
- h) RELHS & post-retirement benefits

9. IT APPLICATION PLATFORMS:

- a) Use of e-Office, HRMS, HR-MIS, IPAS, SPARROW, LIMBS, ARPAN, CPGRAMS, ANUBHAV, UMID, RESS, GEM, etc.
- b) Future of IT in Personnel Management

10. REPRESENTATIONS & COURT CASES:

- a) Service Law;
- b) Handling legal cases (in CATs and Courts);
- c) RTI & CIC matters; other statutory commissions / bodies;
- d) CPGRAMS, CA(iii) References, etc.

11. Official Language Policy and Official Language Rules.

- 12. Any other matter related to any of the above-mentioned topics.